क्रम संख्या–151 (क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अगस्त, 2019

श्रावण 14, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1469/79-वि-1–19-1(क)4-19

लखनऊ, 5 अगस्त, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगीकरण और कृषि विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुगम बनाने तथा भू–धारकों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 10 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 24 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 में, उपधारा (4) में, शब्द "आयुक्त का आदेश अंतिम होगा," के स्थान पर शब्द "आयुक्त का आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा," रख दिये जायेंगे।

धारा 38 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (4) में शब्द "आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा" के स्थान पर शब्द "आयुक्त का निर्णय, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अंतिम होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (3) में शब्द "इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा" के स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 69 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 69 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग) सामान्य उपयोगिता की भूमि के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान, और;"

धारा 72 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग) मण्डलीय मुख्यालय के लिए एक या उससे अधिक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) "जो परिषद के सर्किट न्यायालयों (जहां कहीं मण्डल स्तर पर सर्किट न्यायालय विद्यमान हों) से सम्बन्धित कार्य का देखभाल भी करेंगे और"

धारा 77 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 77 में, उपधारा (2) में शब्द "उसी ग्राम पंचायत" के स्थान पर शब्द "उसी अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 80 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 80 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"80 (1) जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है, वहां उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर यथा विहित जांच करने के पश्चात या तो कोई घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या वह आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। उपजिलाधिकारी आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उपजिलाधिकारी ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों को उल्लिखित करेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देगा;

(2) जहाँ संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का भविष्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है वहाँ ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर उपजिलाधिकारी, यथाविहित रूप में जाँच करने के पश्चात आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवस के भीतर या तो यह घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा सकता है या वह आवेदन अस्वीकृत कर सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उपजिलाधिकारी को ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों का उल्लेख करना होगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देनी होगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिए जोत या उसके आंशिक भाग के चारों ओर चहारदिवारी अवश्य होनी चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो:

परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू–उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि, भूमिधर, ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) अपनी जोत या उसके आंशिक भाग के लिए उपधारा (2) के अधीन घोषणा धारण करने वाला कोई भूमिधर, उपधारा (2) के अधीन घोषणा पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रिया–कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया–कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात् उपधारा (2) की घोषणा को उपधारा (1) की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। ऐसा कोई आवेदन प्राप्त किये जाने पर, उपजिलाधिकारी यथा आवश्यक जाँच करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृति की स्थिति में उसे ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा:

परन्तु यह कि उपधारा (2) के अधीन घोषणा का, उपधारा (1) के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिए भूमिधर पूर्व में उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् प्रचलित सर्किल दर पर आगणित संदेय शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा के लिए भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह–भूमिधर द्वारा किया गया कोई आवेदन तब तक पोषणीय नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के समस्त सह–भूमिधरों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। यदि कोई एक सह–भूमिधर, संयुक्त हित की भूमि में से अपने अंश की घोषणा कराना चाहता है तो ऐसा आवेदन, भूमि में सह–भूमिधरों के अपने–अपने अंशों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार किये जाने के पश्चात ही ग्रहण किया जायेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए आवेदन में ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे और उक्त आवेदन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(6) जहां उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन जोत के किसी आंशिक भाग के संबंध में किया जाता है, वहां उप जिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे आंशिक भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है।

(7) इस धारा के अधीन कोई घोषणा, उपजिलाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरूद्ध हो।